उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 06.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

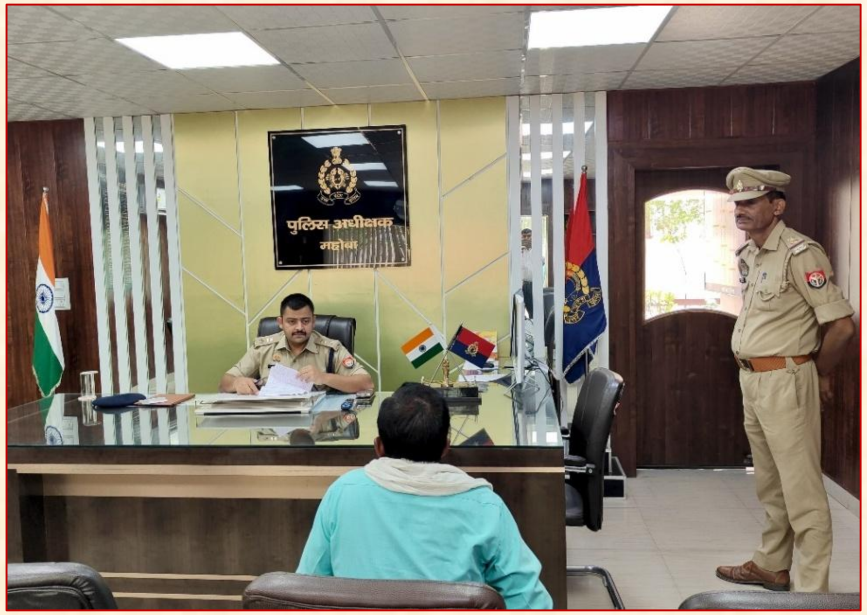

जनपदीय एसओजी तथा थाना पनवाड़ी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की गई त्वरित और साहसिक कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में आपराधिक प्रवृत्ति के 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 01 शातिर अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हुआ, अभियुक्तों के कब्जे से 03 तमंचा, 02 जिन्दा, 02 खोखा व 01 मिस कारतूस अवैध सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा चोरी किये गये आभूषण, चोरी के 34 हजार रुपये नगद की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मामले जैसे- हत्या, लूट, डकैती, गैगेस्टर, गुण्डा व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज हैं।

जनपद महोबा में चोरी/लूट की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 06.04.2025 को गठित की गयी जनपदीय एसओजी तथा थाना पनवाड़ी की संयुक्त पुलिस टीम ने जनपद में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों को मुखबिर खास की सूचना पर थाना पनवाड़ी क्षेत्र के घटना स्थल गुगौरा सडक से कपिल क्रेशर की ओर जाने वाली कच्ची सडक के पास वहद ग्राम गुगौरा के पास चेकिंग करते हुए दबिश दी। पुलिस को देख अपराधियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 01 अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हुआ है।

थाना पनवाड़ी क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड में गिरफ्तारशुदा 03 अभियुक्तों की पहचान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 65/25 धारा 305(1)/331(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों के रुप में क्रमशः 1.सुशील विश्वकर्मा पुत्र लाल दिवान विश्वकर्मा निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी (पुलिस मुठभेड में घायल) 2.प्रकाश राजपूत पुत्र मलखान सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ 3.दिलीप नायक उर्फ दीपू पुत्र रामनिरंजन नायक उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम नटर्रा थाना चरखारी जनपद महोबा हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा, 02 जिन्दा, 02 खोखा एवं 01 मिस कारतूस सहित चोरी की सम्पत्ति पीली/सफ़ेद धातु, नकद 34 हजार रु. व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व चोरी करने में सहायक उपकरणों की बरामदगी की गयी है।

पुलिस मुठभेड व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 74/2025 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया व बरामद मोटरसाइकिल को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मामले जैसे- लूट, डकैती, गैगेस्टर, गुण्डा व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज हैं।

पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्त का प्राथमिक उपचार कराते हुए प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

इस कार्यवाही से क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी स्वाट टीम
2. उ0नि0 रवि कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांश टीम
3. हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह 4. कां0 दीपक वर्मा
5. कां0 रंजीत सिंह 6. कां0 आशीष बघेल
7. कां0 कुलदीप यादव 8. कां0 सत्यम सिंह जादौन
9. कां0 निर्भय सिंह 10.कां0 अभिषेक दुबे

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम-

1. निरीक्षक गुलाब त्रिपाठी, SHO थाना पनवाड़ी।
2. वरि0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
3. उ0नि0 रामकिशन यादव 4. उ0नि0 हार्दिक सिंह 5. उ0नि0 पवन गौड़
6. का0 मिथुन कुमार 7. का0 देवेन्द्र राजपूत 8.का0 रवि कुमार
9. का0 राम कुमार तिवारी 10.का0 विपिन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं बरामदगी का विवरण-

1. **(पुलिस मुठभेड़ में घायल)** सुशील विश्वकर्मा पुत्र लाल दिवान विश्वकर्मा निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 14,900 रू0 नगद बरामद हुए तथा एक पीली पन्नी मे एक जोडी पायल एक जोडी बिछिया 02 अदद सिक्का सफेद धातु तथा 04 अदद हाय पीली धातु व 5500 रू0 नगद बरामद हुआ।

2. प्रकाश राजपूत पुत्र मलखान सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस एवं जेब से 12,000 रू0 नगद एक पीली पन्नी मे एक जोडी पायल सफेद धातु एक जोडी बिछिया सफेद धातु इस्तेमाली व 02 अदद सिक्का सफेद धातु तथा जेब से एक अदद की पैड मोबाइल LAVA कम्पनी बरामद हुआ।

3. दिलीप नायक उर्फ दीपू पुत्र रामनिरंजन नायक उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम नटर्रा थाना चरखारी जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद मिस कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ एवं 7100 रू0 नगदी बरामद हुआ तथा पैट की दायी जेब से एक पीली पन्नी मे एक जोडी पायल सफेद धातु एक जोडी बिछिया सफेद धातु तथा दूसरी सफेद पन्नी मे दो जोडी पायल सफेद धातु व 2 जोडी बिछिया सफेद धातु बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

"मुठभेड़ में घायल अभियुक्त सुशील विश्वकर्मा पुत्र लाल दिवान का आपराधिक इतिहास"

1. मु0अ0सं0 1202/07 धारा- 302 भादवि चरखारी
2. मु0अ0सं0 193/24 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट चरखारी
3. मु0अ0सं0 64/25 धारा- 331(2)/305(1)/317 भादवि पनवाड़ी
4. मु0अ0सं0- 74/2025 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आर्म्स एक्ट पनवाड़ी

"अभियुक्त प्रकाश राजपूत पुत्र मलखान सिंह का आपराधिक इतिहास"

1. मु0अ0सं0 399/23 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट कुलपहाड़
2. मु0अ0सं0 456/16 धारा- 3(1) गैंगेस्टर एक्ट कुलपहाड़
3. मु0अ0सं0 638/15 धारा- 379/411/413/414 भादवि कुलपहाड़
4. मु0अ0सं0 913/15 धारा- 379/411 भादवि कोतवाली नगर महोबा
5. मु0अ0सं0 95/15 धारा- 60 आबकारी अधि. श्रीनगर
6. मु0अ0सं0 393/15 धारा- 379/411 भादवि श्रीनगर
7. मु0अ0सं0 64/25 धारा- 331(2)/305(1)/317 भादवि पनवाड़ी
8. मु0अ0सं0- 74/2025 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आर्म्स एक्ट पनवाड़ी

"अभियुक्त दीपक नायक उर्फ दीपू पुत्र रामनिरंजन नायक का आपराधिक इतिहास"

1. मु0अ0सं0 855/10 धारा- 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट कोतवाली नगर महोबा
2. मु0अ0सं0 507/10 धारा- 382/392 भादवि चरखारी
3. मु0अ0सं0 1350/07 धारा- 201/302/364 भादवि व एससी/एसटी एक्ट चरखारी
4. मु0अ0सं0 64/25 धारा- 331(2)/305(1)/317 भादवि पनवाड़ी
5. मु0अ0सं0- 74/2025 धारा- 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आर्म्स एक्ट

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने जानलेवा हमले के वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 06.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना महोबकंठ में जानलेवा हमले के आरोप में पंजीकृत किये गये मु0अ0सं0 57/2025 धारा-109/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अमर सिंह अहिरवार पुत्र हरिदास उर्फ पप्पू अहिरवार उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सिजारी थाना लहचुरा जनपद झांसी को थानाक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम चौका जाने वाले रास्ते के पास यात्री प्रतिक्षालय के पीछे से मय 01 अदद चाकू (घटना मे प्रयुक्त) की बरामदगी करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अमर सिंह अहिरवार पुत्र हरिदास उर्फ पप्पू अहिरवार उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सिजारी थाना लहचुरा जनपद झांसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा
2. मुख्य आरक्षी शत्रुघन सिंह 3. मुख्य आरक्षी राजेश कुमार

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 06.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम उ0नि0 गौरव चौबे, चौकी प्रभारी सुभाष मय हमराह पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के रामकथा मार्ग शिव मन्दिर गेट के पास बह्द मु0 गांधीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त अभिषेक सिंह पुत्र शिवबीर सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी खजुरिया पहरा थाना कबरई जनपद महोबा को हिरासत मे लिया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया, बरादमगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 159/2025 धारा- 9/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 गौरव चौबे, चौकी प्रभारी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 अंकित सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर महोबा
3. का0 उपेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त -

अभिषेक सिंह पुत्र शिवबीर सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी खजुरिया पहरा थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में रामनवमी जुलूस के दृष्टिगत पुलिसकर्मियों की ब्रिफिंग की गयी, रामनवमी जुलूस के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती करते हुए शोभायात्रा को सकुशल सम्पन्न कराया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आज दिनांक- 06.04.2025 को रामनवमी जुलूस के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के साथ थाना कोतवाली नगर महोबा में प्र0नि0 की उपस्थिति में रामनवमी शोभायात्रा के पूर्व पुलिस बल की विस्तृत ब्रीफिंग की गई, जिसमें उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण, आपात स्थिति से निपटने एवं सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

जनपद महोबा में आज दिनांक- 06 अप्रैल 2025 को रामनवमी के पावन अवसर पर जनपद महोबा के प्रत्येक थानाक्षेत्र में पारंपरिक रामनवमी जुलूस श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाला जा रहा है, जो शांतिपूर्ण और भक्तिपूर्ण वातावरण में आयोजित हो रहा है, जुलूस में बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद हैं, जिनके द्वारा भगवान श्रीराम के जयघोषों से वातावरण भक्तिमय बना रहा।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के सभी थानाक्षेत्रों में जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, समस्त जुलूस मार्ग पर पुलिस बल, पीएसी, होमगार्ड एवं निगरानी दलों की तैनाती की गई है साथ ही ड्रोन कैमरों एवं सीसीटीवी के माध्यम से जुलूस की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके और असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके।